Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में सरंपच, ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर शहर इकाई द्वारा आज गुरूवार को जोधपुर में कार्यवाही करते हुये ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान, पं.स. सेखाला जिला जोधपुर सांगसिंह राजपुरोहित को 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. जोधपुर शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान में जनता जल योजना में पम्प चालक के पद पर पुनर्नियुक्ति देने की एवज में संरपच कानोडिया पुरोहितान सांगसिंह राजपुरोहित द्वारा 30 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जोधपुर शहर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपालसिंह लखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रूपसिंह एवं उनकी टीम** के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सांगसिंह पुत्र श्री विजयसिंह** निवासी छोगजी की ढाणियां, ग्राम कानोडिया राजपुरोहितान, त. सेखाला, जिला जोधपुर हाल **सरपंच ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान, पं.स. सेखाला जिला जोधपुर** 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।